न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 03 / 2018 / जैसलमेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. रणछोड़सिंह पुत्र हुकमसिंह वगै. **बनाम** 1.सांगसिंह पुत्र मंगलसिंह वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री बसीर मोहम्मद प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री सवाईसिंह देवड़ा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 की ओर से
3. वकील श्री हाजीखां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 08 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 28.11.2019

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ में रेस्पोडेंटगण ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम मूलाना के हाल खसरा संख्या 494, 478, 502 में कुल रकबा 163.03 बीघा में खातेदारी दी जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटगण द्वारा पेश वाद को डिक्री कर दिया गया जबकि अपीलांटस रणछोड़सिंह वगैरह ने अपीलाधीन आराजी को लाखों रूपये लगाकर इस जमीन को उपजाऊ बनाया इसमें अच्छी मिट्टी डाली, अच्छी खाद डाली व बाड इत्यादि बनाई तथा रिहायशी झोपड़े कलार व टांका बनाया उसी भूमि को हड़प करने के लिए रेस्पोडेंटगण ने एक सोची समझी रणनीति के जरिये झूठा व बेबुनियाद दावा अपने नाम से डिक्री करवा लिया। रेस्पोडेंटगण ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अपने हक में अधीनस्थ न्यायालय से बाला–बाला रूप से निर्णय पारित करवा लिया। रेस्पोडेंटगण के खाते में सीलिंग सीमा से भी अधिक भूमि खातेदारी में दर्ज है। जिसमें इनके विरूद्ध सीलिंग का प्रकरण में पूर्व में दर्ज किया गया था जो दिनांक 28.05.1971 को निर्णित किया गया उसके बावजूद भी भूमि को खातेदारी में घोषित करवा रहे है जो सीलिंग सीमा की अधिकतम धारण योग्य भूमि से भी अधिक है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि जिसकी खातेदारी रेस्पोडेंटगण ने तथ्यों को छुपाकर अपने नाम करवा दी जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांटस / प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित एवं पिड़ित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि रेस्पोडेंटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार देना प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दायर कर रखी है एक ही वादग्रस्त आराजी को लेकर है। अपीलांट का आवेदन स्वीकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का हित किसी प्रकार से निहित है इस संबंध में किसी प्रकार का रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार रूप में हक दर्शाता है और न ही इसका कोई सीधा संबंध ही प्रकट करता है। रेस्पोडेंट को यह भूमि 15.07.2015 को दावे में डिक्री होकर खातेदारी में मिली है। जिसमें अपीलांट का कोई प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, नही वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार ही है। अपीलाधीन आराजी को लेकर अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंटगण के नाम सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने का कथन किया है जिसके संबंध में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ द्वारा पेश अपील में कहीं सीलिंग का हवाला नहीं दिया गया है फिर भी अगर मामला सीलिंग का बनता है तो तहसीलदार फतेहगढ सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरते है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

28/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner